

न्यायालय: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागवाड़ा जिला
डूंगरपुर (राज.)

संतोष बनाम राजस्थान राज्य
विविध दायित्वक प.सं. 682/2026

इस्तगासा संख्या 145/2026 पुलिस थाना सागवाड़ा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 497-503 बीएनएसएस

दिनांक: 11.06.2026

अभियोजन अधिकारी उपस्थित। प्रार्थी संतोष पिता गौरीशंकर भोई
निवासी पुराना पोस्ट ऑफीस के पास तह. सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)
) उपस्थित। प्रार्थी की ओर से वाहन संख्या आरजे 12 पीए 6133 को
सुपुर्दगी में लौटाए जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र की नकल अभियोजन
अधिकारी को दिलाई जा चुकी हैं। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।

इस्तगासा थाने से पेश किया गया। उभयपक्ष को सुना गया। यह
वाहन पुलिस थाना सागवाड़ा द्वारा अपराध इस्तगासा संख्या 145/2026
अन्तर्गत धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट में जब्त किया गया है। अनुसंधान
अधिकारी ने प्रकरण में उक्त की आवश्यकता नहीं होना बताया है। अतः माननीय
उच्चतम न्यायालय द्वारा "सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य के
मामले में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में जब्तशुदा वाहन को प्रार्थी को
सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर आदेश
दिया जाता है कि, यदि प्रार्थी 1,00,000/- रुपये की राशि की जमानत व
इस ही राशि का सुपुर्दगीनामा, इन शर्तों पर प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे कि
वह मूल प्रकरण के निस्तारण तक उक्त वाहन के भौतिक स्वरूप में सारभूत
परिवर्तन नहीं करेगा, वाहन का किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरण या अन्यथा
व्ययन नहीं करेगा एवं न्यायालय द्वारा तलब करने पर वाहन को उसके खर्चे
पर प्रस्तुत कर देगा, तो उक्त वाहन को प्रार्थी को बाद रसीद, सुपुर्द कर दिया
जावे। आदेश सुनाया गया।

आदेशानुसार प्रार्थी की ओर से, जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पेश किया
गया, जो बाद जांच तस्दीक कर शामिल पत्रावली किये। सम्बन्धित
थानाधिकारी को उक्त वाहन की अन्य किसी मामले में आवश्यकता नहीं होने
पर बाद प्राप्ति रसीद जब्तशुदा वाहन को सुपुर्द कर दिये जाने, एवं वाहन के
फोटोग्राफ खिंचवाए जाकर इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की तहरीर
जारी होवे। इस्तगासा पुलिस थाना सागवाड़ा को लौटाया जावे। प्रार्थना पत्र
फैसल शुमार होकर संलग्न मूल प्रकरण रहे।

(मदनलाल बालोटिया)
अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)